भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3391**

**उत्तर देने की तारीख- 12.03.2026**

आदि-वाणी, जनजातीय भाषाओं के लिए एआई-संचालित मंच

**3391. श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन और डिजिटलीकरण के लिए जनजातीय भाषाओं के अनुवाद और परिरक्षण के लिए भारत के एआई-संचालित मंच आदि वाणी जैसी पहल आरंभ की है और यदि हां, तो इस मंच के अंतर्गत संरक्षित, डिजिटाइज्ड और एकीकृत जनजातीय भाषाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य के पोल्लाची-अन्नामलाई क्षेत्र में मालासर, मलाई मालासर, कांदर, मुदुगर (मुदुवन), इरुलर और इरावलर सहित जनजातीय समुदायों की जानकारी है और क्या व्यवस्थित प्रलेखन के अभाव में उनकी विशेष भाषाई और सांस्कृतिक परंपराएं संकट में हैं;

(ग) क्या इन समुदायों की भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में व्यवस्थित प्रलेखन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है और इसकी समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जी, हां। आदि-वाणी एक एआई-संचालित अनुवाद मंच है जो जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण (प्रलेखन) और डिजिटलीकरण के लिए भी एक मंच है। वर्तमान में, ऐप और वेब पोर्टल निम्न भाषाओं को समर्थन (सपोर्ट) करता है:

- छत्तीसगढ़ की गोंडी
- झारखंड की मुंडारी
- मध्य प्रदेश की भीली

- ओडिशा की संताली

दो भाषाएँ, अर्थात् ओडिशा की कुई और मेघालय की गारो, विकास के चरण में हैं। परियोजना, के दूसरे चरण में, निम्नलिखित सात भाषाएं आदि वाणी में शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं:

- कटकरी - महाराष्ट्र
- कोया - आंध्र प्रदेश
- कोकबोरोक - त्रिपुरा
- बेट्टा कुरुबा - कर्नाटक
- थोडू कुकी और तांगखुल - मणिपुर
- चौदरी - गुजरात

(ख): जी, हाँ। सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न कारणों, जैसे आधुनिकीकरण, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आदि के कारण इन जनजातीय समुदायों की भाषाई एवं सांस्कृतिक परंपराएँ परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं।

(ग) और (घ): इन भाषाओं को आदि वाणी परियोजना के आगामी चरण में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण (प्रलेखन), संरक्षण और डिजिटल पहुँच के लिए देश भर में और अधिक जनजातीय भाषाओं तक उत्तरोत्तर कवरेज का विस्तार करना है। प्रस्तावित समुदायों की भाषाओं के लिए दस्तावेज़ीकरण (प्रलेखन) और डिजिटलीकरण गतिविधियाँ संबंधित राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के साथ समन्वय में चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी और इसकी विशिष्ट समयावधि स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग और क्षेत्र दस्तावेज़ीकरण (प्रलेखन) के प्रयोजन पर निर्भर करेगी।

*****